A2
7

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

मिलखाराम आदि बनाम सरकार
रिव्यू प्रार्थना पत्र पंचायत राज अधिनियम
विविध प्रकरण सं. 02 सन् 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
13–05–14	प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट पेश हुआ। रिपोर्ट में वर्णित कमियों की पूर्ति की गई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए रिव्यू प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करें। पत्रावली दिनांक 18.06.2014 को पेश हो।	N.J.
18.06.14	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी CM दौरे में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 22.07.14 को पेश हो।	आम्रवलकार अतिरि० N.J. to सरपंच ग्राम पंचायत
22.07.14	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी RSNR पधारे है। पत्रावली दिनांक 8.09.14 को पेश हो।	
8.09.14	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 13.10.14 को पेश हो।	
13.10.14	प्रार्थी के अधिवक्ता उप०। प्रार्थी के Adv. ने अप्रार्थी सं. 01 व 03 की तलबी हेतु ~~समसब~~ तलबाना पेश किया - जारी हो। पत्रावली दिनांक 25.11.14 को पेश हो।	N.J. 1979 / 13.10.14
25.11.14	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी N.P.E. मतगणना में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 29.12.14 को पेश हो।	
29.12.14	प्रार्थी के अधिवक्ता उप०। अप्रार्थी सं. 03 की ओर से श्री सतीश चन्द्र जैन, Adv ने वकालतनामा पेश किया - शा० मिसल हो। अप्रार्थी सं. 03 के Adv. को प्रा०पत्र की प्रति दी गई। अप्रार्थी सं. 1-2-4 उप० नहीं। पत्रावली दिनांक 11.02.15 को पेश हो।	R/C

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम ता
10.11.2017	पत्रावली प्रार्थना पत्र के आदेश हेतु पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी श्री भगतसिंह जाखड के पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.10.2011 जो कि उपरोक्त अनवानी अपील सख्या 38/2008 में पारित करते हुए बिना पूरे तथ्यों पर विचार किये निगरानी को खारिज करने का आदेश दिया गया पर पुनः विचार कर आवश्यक तथ्यों पर पुनः गौर करते हुए पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र पेश करके अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 11.10.2011 पुनर्विचार कर निगरानी को स्वीकार करने का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2014 पर वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानी में रिव्यू सुनने का श्रीमान न्यायालय को अधिकार नहीं है, साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र मियाद से बाहर करीब 2 वर्ष से अधिक समय बाद पेश किया है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र मियाद के बिन्दु पर खारिज किया जावे। प्रार्थी प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.10.2011 में बहस के दौरान मै उपस्थित नहीं था, इसलिए मुझे निर्णय की तारीख का पता नहीं चल सका और काफी समय गुजर जाने के पश्चात मैने अपने वकील साहब से कल दिनांक 03.04.2014 को मेरे प्रकरण के बारे में पता किया तो उन्होने बताया कि इस प्रकरण का निर्णय तो दिनांक 11.10.2011 को हो चुका है, जिसके आधार पर सूचना मिलने की तारीख से बिना देरी के प्रार्थना पत्र पेश किया, जो देरी माफ किये जाने योग्य है और रिव्यू अन्दर मियाद स्वीकार किये जाने योग्य है। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली मे मौजद दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि रिव्यू प्रार्थना पत्र के अधीन निगरानी का निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2011 को निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की गई थी एवं प्रार्थी द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र भी निर्णय के करीब 2 वर्ष 5 माह 23 दिवस की लंबी अवधि गुजरने के बाद पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा जो देरी का कारण बताया है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.10.2011 में बहस के दौरान मैं उपस्थित नही था, इसलिए मुझे निर्णय की तारीख का पता नही चल सका और काफी समय गुजर जाने के पश्चात मैने अपने वकील साहब से कल दिनांक 03.04.2014 को मेरे प्रकरण के बारे में पता किया तो उन्होने बताया कि इस प्रकरण का निर्णय तो दिनांक 11.10.2011 को हो चुका है, मानने योग्य युक्तियुक्त कारण नही है रिव्यू के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97(3)" में प्रावधान है कि The State Government may , of its own motion or on an application received from any person interested,	

Scanned by CamScanner

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

at any time ,**With in ninety days** of the passing of an order under sub-sec.[1] Review any such order if was passed by it under any mistake, whether of fact or of law, or in ignorance of any material fact. । पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा अपने पुराने कब्जे के कथन के सम्बन्ध में कोई तथ्य अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे उसके तर्क को बल मिलता हो। निगरानी सारहीन करार दी जाकर खारिज की जानी पाई है। उपरोक्त विवेचन तथा विलम्ब के लिए युक्तियुक्त एवं ठोस कारण के बिना रिव्यू प्रार्थना पत्र ग्राहय योग्य नहीं है लिहाजा अस्वीकार किया जाता है। आदेश की प्रति ग्राम पंचायत को मूल रिकार्ड सहित लौटाई जावें।

आदेश आज दिनांक 10.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner